



दूरभाष : 0522-2286709

फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

सर्वोच्च प्राथमिकता / अनुस्मारक

दिनांक ०५ नवम्बर, 2014

पत्रांक 2649 / 46 / दस / 2009

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़,  
मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा,  
शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं रायबरेली।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़,  
मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर एवं गोरखपुर।

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्,  
फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं  
रायबरेली।

विषय— केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'भागीदारी' में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अभिकरण के पत्रांक 2523 / 46 / दस / 2009 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भागीदारी में किफायती आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों के लिए आवासों की कमी को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास निर्मित कराकर शहरी क्षेत्र में स्लमों को नियंत्रित करने हेतु अर्फ़ाडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप योजना को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना से सम्बद्ध कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के बन रहे स्लमों को रोकने के लिए तथा निम्न आय वर्ग (ई०डब्ल००एस०) एवं अल्प आय वर्ग (एल०आई०जी०) के लिए आवासीय स्टाक को बढ़ाने हेतु इस योजना में निजी भागीदारी के माध्यम से आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित सभी शहरों में भागीदारी में किफायती आवास योजना का संचालन किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रदेश में किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन स्थानीय नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों सहित अन्य पैरास्टेटल्स, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं निजी निर्माता / डेवलपर्स एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या— 1072 / 69-1-14-14(7) / 2014, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो कि सूडा, उ०प्र० की बेवसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है।


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और उनके नियंत्रणाधीन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं अन्य पैरास्टेटल्स को अपने स्तर से परियोजना

तैयार कराकर शीघ्र जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र संख्या— 1072/69-1-14-14(7)/2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो कि सूडा, उठोप्र० की बेवसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उठोप्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं अन्य पैरास्टेटल्स से समन्वय स्थापित करते हुए परियोजनाओं को शीघ्र तैयार करने के निर्देश सूडा, उठोप्र० के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2014 दिये गये थे, जो कि अद्यतन अप्राप्त है।

उक्त संबंध में संबंधित विभाग से यथाधीघ समन्वय स्थापित करते हुए परियोजनाओं को यथाशीघ्र सूडा, उठोप्र० को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उठोप्र० शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उठोप्र० लखनऊ।
- 3 परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं रायबरेली।
- 4 सहायक बेवमास्टर को सूडा की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक